दावा सं : 62/22

1:–कालू पिता लालू ओड मृतक के बजाय:–

1/1:– बाबूलाल पिता कालूजी जाति ओड़ निवासी मुरोली तह0 बेगू

1/2:– अगछीबाई पुत्री कालूजी जाति ओड़ निवासी मुरोली तह0 बेगू

2:–सोसर पुत्री कालू ओड मृतक के बजाय:–

2/1:– दिनेश माता स्व. सोसरबाई ओड निवासी मुरोली तह0 बेगू

2/2:– मदन माता स्व. सोसरबाई ओड निवासी मुरोली तह0 बेगू

2/3:– संतराबाई माता स्व. [illegible] मुरोली तह0 बेगू

3:– शांतिबाई पुत्री कालूजी [illegible] निवासी मुरोली तह0 बेगू

4:– प्रेमबाई पुत्री [illegible] मुरोली तह0 बेगू

5:– संतोषबाई पुत्री कालूजी [illegible] निवासी मुरोली तह0 बेगू

6:– हीराबाई पुत्री कालूजी ओड [illegible] मुरोली तह0 बेगू

7:– सुगनाबाई पुत्री कालूजी ओड निवासी मुरोली तह0 बेगू

8:– गंगाबाई पत्नी पुत्री कालूजी ओड निवासी मुरोली तह0 बेगू

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:50:49 IST
Reason: SelfAttested

.... वादीगण

– बनाम –

1:– नंदा पिता गंगाराम भील निवासी सोपुरा तह0 बेगू

2:– नारायण पिता गंगाराम भील निवासी सोपुरा तह0 बेगू

3:– पगेरिया पिता गंगाराम भील निवासी सोपुरा तह0 बेगू

4:– धापू पत्नी गंगाराम भील – मृतक नाम तर्क

5:– भैरू पिता उंकार भील गंगाराम भील निवासी सोपुरा तह0 बेगू

6:– रामी पत्नी रामा भील निवासी चमनपुरा अनोपपुरा तह0 बेगू

7:– जयराम पिता भूरा भील – मृतक नाम तर्क

8:– रोडा पिता भूरा भील निवासी सोपुरा तह0 बेगू

9:– श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चित्तौड़गढ़

.......प्रतिवादीगण

उपस्थित :: राजसिंह
अधिवक्ता वादीया
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :30–1–2023

निर्णय वाद अ0धा0 88–188 राज0का0अधि0

यह दावा इस न्यायालय में वर्ष 1999 को प्रस्तुत किया गया था जिसके दावा संख्या 07/1999 थे इस दावे में न्यायालय द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण को सुना जाकर न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 014.01.2004 को दावा वादीगण का सिद्ध नहीं होने से खारिज किया गया था, तदोपरान्त वादीगण द्वारा इस न्यायालय के निर्णय विरूद्ध प्रथम अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, चितौडगढ के न्यायालय में की गई थी माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय द्वारा उनके निर्णय दिनांक 08.06.2012 को अपील अपीलान्ट की स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.01.2004 को निरस्त करते हुए प्रकरण का विश्लेषण के सन्दर्भ में परीक्षण कर पुनः सुनवाई उपरान्त विधिसम्मत निर्णिय पारित करने हेतु निर्देश कर प्रकरण पुनः इस न्यायालय को लौटाया गया था जिसकी पालना मे इस दावा पत्रावली को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया जिसके मुकद्मा नम्बर 104/2012 होकर प्रकरण में वादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.09.2013 को वादीगण [illegible] आधार पर सिद्ध नहीं होने से वाद खारिज किया गया था [illegible] द्वितीय निर्णय दिनांक 03.09.2013 के विरूद्ध [illegible] महोदय, चितौडगढ के न्यायालय में [illegible] उनके निर्णय दिनांक [illegible] [illegible]

वर्णित आराजीयात रूपा केसिया भैरू पिता लाला भील निवासी शिवपुरा से 239/— रूपये में सम्वत 2015 में खरीद कीमत के स्था पर भगवानलाल जी ने रूपा केसिया कुका भैरू पिता लाला भील निवासी शिवपुरा से अषाढसुदी 11 संवत 2009 में 80/— रूपये में विवादित आराजीयात को खरीदा उसकी तहरीर लिखी और पटवार हल्का पटवारी को इन्तकाल खोलन बाबत दी तत्पश्चात खाता वादी के नाम पर नहीं आने से तथा पटवार हल्का द्वारा उक्त तहरीर नहीं देने से दूसरी तहरीर लिखने को प्रतिवादीगण को कहा तो 2/— रूपये के स्टाम्प पर बिकाव का खत लिखने पर और अधिक रूपये की मांग की तो उक्त जमीन को 239/— रूपये में फाल्गुन बदी 11 सम्वत 2015 तारीख 15.03 1959 ब्रहस्पतीवार को ... कर खत निष्पादित किया तभी से वादी का कब्जा है । वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत ... प्रार्थना पत्र दिनांक 17.12.2014 को स्वीकार किया जा चुका है और संशोधित वाद पत्र ... पेश किया गया है जिसमें संशोधित वाद पत्र के आधार पर प्रकरण में ... व सुनवाई के उपरान्त निर्णय पारित किया जाना विधिक अपेक्षा होने से ... अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिकी अपास्त किये जाते है प्रकरण संशोधित वाद पत्र के आधार में वादबिन्दु विरचित करने साक्ष्य लेकर सुनवाई के उपरान्त निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है वादी अपीलान्ट अधीनथ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु 18.05.2015 को स्वयं उपस्थित रहे "

दावा पत्रावली में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, चितौडगढ द्वारा दिये निर्देशो व निर्णय की पालना में इस न्यायालय द्वारा वादीगण के वादपत्र को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया जिसके मुकद्मा नम्बर 114/2015 होकर वादऊीगण के वाद पत्र का निर्णय पुनः इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.2017 को करते हुए वादीगण का वाद पत्र दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर सिद्व नहीं होने से खारिज किया गया। वादीगण द्वारा पुनः इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.02.2017 के विरूद्ध तृतीय अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, चितौडगढ के न्यायालय में की गई जिस पर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उनके निर्णय दिनांक 02.03.2022 को यह निर्णय पारित किया गया कि " **अपील अपीलान्ट वादीं स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचरण न्यायालय द्वारा पारित प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 01.04.2015 की पालना में नवीन वाद बिन्दु संशोधित वादवपत्र के अनुसार कायम किया जाकर उभयपक्षकारान की साक्ष्य व सबुत लिवाई जाकर आदेश 20 नियम 5 जा.दी. की पालना करते हुए तनकीवार अजरसे नव निर्णय पारित करें"**

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी चितौडगढ के निर्णय की पालना में वादीगण का वादपत्र इस न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु दर्ज किया जाकर प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, न्यायालय में वादीगण की ओर से अधिवक्ता राजसिंह चुण्डावत द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया साथ ही प्रतिवादीगण के सम्मन प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 5 व 8 के सम्मन बाद तामील प्राप्त होकर प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता विजय कुमार भारद्वाज द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुंत करत हुए निवेदन इस प्रकार से किया कि दावा पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जवाबदावा जो कि दिनांक 22.12.2016 को प्रस्तुत किया गया था वहीं जवाबदावा माना जावें। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 व 7 कमशः धापू बेवा गंगाराम व जयराम पिता भूरा का नाम माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय द्वारा नाम तर्क किये जाने के आदेश दिये जा चुके है। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 9 भूमिधारी तहसीलदार बेगूँ को आवाज दिलाये जाने पर भी वह प्रकरण में उपस्थित नहीं आए। वादी की ओर से माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय के निर्देशा की पालना में निम्न प्रकार से संशाधित वाद पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

मौजा देवरी प0ह0 खेडी तह0 बेगू के आराजी नं0 75, 77, 78, 79, 80, 81, 173/76 रकबा कमशः 0.16, 002, 047, 042, 012, 045, 032 कुल रकबा 12 बीघा 14 बिसवा मुझ वादी की होकर कब्जे काश्त में है तथा अभी भी मैंने गेहूं की फसल बो रखी है तथा इसी के गत भू—प्रबन्ध के आराजी सं0 42/1 रकबा 9 बीघा 11 बिसवा है।

यह कि उपरोक्त मुझ वादी ने आज से करीब 45–46 वर्ष पहले वाद वर्णित आराजी में भगवानलाल ने रूपा, केश्या, कूका, भैरू पिता लाला भील निवासी शिवपुरा ने आषाढ सुदी 11 संवत 2009 में 80/— रूपये में विवादित आराजी को खरीदा उसकी तहरीर लिखी और प0ह0 पटवारी को इंतकाल खोलने बाबत दी तत्पश्चात खाता वादी के नाम पर नहीं आने से तथा प0ह0 द्वारा उक्त तहरीर वापस नहीं देने से दूसरी तहरीर लिखने को प्रतिवादीगण को कहा तो ... के स्टाम्प पर बिकाव का खत लिखने पर और अधिक रूपये की मांग की ... को 239/— रूपये में ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:50:49 IST
Reason: SelfAttested

भैरू(फौत)   कूका(कुकलिया)लाऔलाद फौत   केश्या(फौत)
|
भूरा(फौत)
|
जेराम   रोडा

रतना चुनिया

नन्दा   भैरु
नाराण   धापू(पत्नी)
फोरिया
धापू(पत्नी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:50:49 IST
Reason: SelfAttested

यह कि रूपा भील मर चुका है इसके तीन पुत्र गंगाराम, उंकार एवं भोलीराम है तथा गंगाराम भी मर चुका है जिसके तीन पुत्र नन्दा, नाराण, फोरिया एवं धापू(पत्नी) गंगाराम है। जो प्रतिवादी सं0 1, 2, 3, 4 है जो रूपा के वारिस है। इसी तरह उंकार भी मर चुका है जिसके भैरू लड़का व धापू पत्नी है जो प्रतिवादी सं0 5, 6 है। भोलीराम रूपा का पुत्र है जो प्रतिवादी सं0 7 है। केश्या के चार पुत्र है जो कम रतना, रामा, चुनिया व मोती है जो प्रतिवादी सं0 8, 9, 10, 11 है। इस प्रकार कूका भील लाऔलाद फौत हो चुका है। भैरू का लड़का भूरा है। भूरा भी फौत हो चुका है। जिसके दो पुत्र जेराम और रोडा है।

यह कि मौजा देवरी प0ह0 खेडी के नवीन भू–प्रबन्ध के आराजी नं0 42/1 रकबा 31 बीघा है जिसमें से 9 बीघा 11 बिसवा मुझ वादी को बेचान की जो जमीन जेर बहस पर 46 वर्ष से कब्जे काश्त में है तथा उक्त जमीन राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1995 के पूर्व मुझ वादी के जमीन जेर बहस प्रतिवादीगण के पिता व दादा बा ने मुझे बेचान की तब से कब्जे काश्त चली आ रही है।

यह कि मुझ वादी को रूपा, केश्या, कूका, भैरू पिता लाला भील को खाते दर्ज कराने को कहा तो भाईयों ने एक तहरीर लिखकर खाते दर्ज कराने बाबत दी। संवत 2009 में उस तहरीर का प0ह0 को दी परंतु खाते दर्ज नहीं की व उस तहरीर को भी वापस नहीं दी इस पर दूसरी लिखा पढी फागुण बुदी 11 संवत 2015 तद्नुसार तारीख 05.03.1959 को लिखकर दिया साक्ष्य में पेश है। इस तरह 2009 से आज तक वादी का ही कब्जा काश्त में चली आ रही है।

यह कि वादी लगातार खुले रूप में प्रतिवादीगण की जानकारी में बिना रोक टोक के कब्जे काश्त में चले आ रहे है जिसको अर्सा 46 वर्ष हो चुके है। इस कारण धारा–63(4) राज0का0अधि0 के अनुसार वादी खातेदार कब्जा मुखलपाना के आधार पर खातेदार हो गया है। इस कारण वर्णित आराजीयात को वादी खातेदारी घोषित कराकर प्रतिवादीगण का नाम हटाकर वादी के नाम इन्द्राज कराया जाना न्यायोचित है।

यह कि प्रतिवादीगण का नाम खातेदारी में रह जाने से वादी को धमकीयां दे रहे है कि जबरन कब्जा कर लेंगे जबकि प्रतिवादीगण का लेसमात्र भी किसी प्रकार का अधिकार एवं आधिपत्य नहीं है। इस कारण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण ताकत के बल पर कब्जा करना चाहते है तो इससे लडाई झगडा होने का अंदेशा होगा तो व्यर्थ में मुकदमेबाजी बढेगी।

यह कि खाता सं0 6 संवत 2053 से 2056 की जमाबंदी में प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादी का नाम दर्ज फरमाया जावे एवं वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की घोषणा फरमायी जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करे।

यह कि वादी की प्रार्थना है कि पक्ष वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार की डिकी फरमायी जावे।

(अ) उक्त वर्णित आराजीयात को वादी के नाम दर्ज फरमायी जावे एवं प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादी के नाम घोषणात्मक डिकी फरमायी जावे।

(ब) कि प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी न कभी करे इस हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

(स) कि खर्चा मुकदमा वकील मेहनताना वादीगण को प्रतिवादीगण को दिलाया जावे।

(द) कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण अंतर्गत धारा–209 राज0का0अधि0 के तहत जो भी सहायता प्रमाणित हो और न्यायालय दे सकती है उसकी डिकी प्रदान की जावे।

[illegible] विवादित जमीन वादी के नाम किए जाने में कोई आपत्ति नहीं। इस दावा पत्रावली में [illegible] में प्रतिवादीगण संख्या 1 नंदा पिता गंगाराम व प्रतिवादी संख्या 7 जयराम पिता भूरा भील [illegible] नाम दर्ज हुआ है की ओर से पूर्व में जवाबदावा इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि :– [illegible] ने निवेदन किया कि वर्णित भूमि हम प्रतिवादीगण की होकर प्रतिवादी संख्या 1 के पिता [illegible] व जयराम प्रतिवादी 12 के पिता इत्यादि ने आज से 7 साल पूर्व वादी के पिता को [illegible]/– रूपये में गिरवी रखी थी के अलावां अन्य तथ्य अस्वीकार है। वादी ने भूमि खरीदना [illegible] अंकित किया है, वादी ने सजरा भी गलत अंकित किया है। कालू को फोत बताया है जबकि [illegible] एक पुत्र हैजिसके फरीक नहीं [illegible] प्रतिवादी संख्या 8 की पुत्री सुगना है जिसे भी पक्षकार नहीं बनाया है [illegible] लाओलाद फोत बताया है जबकि प्रतिवादी संख्या 2 नारायण [illegible] रूपी पुत्रियां है [illegible] भी पक्षकार नहीं बनाया है। भूरा जी की पुत्री नानी पत्नि ठेकूबाई व [illegible] को फरीक नहीं बनाया गया है, वाद जवाब की चरण संख्या 3 अनुसार दावे मे [illegible] है जिससे वाद खारिज होने योग्य है। सम्वत 2009 में कोई तहरीर हमारे या हमारे पूर्वजा द्वारा लिखी जाने वाली बात अस्वीकार है। इसी प्रकार 05.03. 1959 को दूसरी लिखा पढी वाली बात भी निराधार है, तथा वादी का कब्जा सं0 2009 से होने वाली बात भी गलत है। वादी को दाद पाने का अधिकारी नहीं है। अतः वादी का वादपत्र खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:50:49 IST
Reason: SelfAttested

दावा पत्रावली में पूर्व के समय प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा ईकबालिया जवाब दिया जाकर दावा वादी के पक्ष में स्वीकार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है जबकि प्रतिवादीगण नंदा व जयराम द्वारा अपने जवाब में वादीगण का दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया है , लेकिन प्रतिवादीगण पुनः अपनी सुनवाई हेतु व वादीगण द्वारा प्रस्तुत संशाधित वाद पत्र के जवाब प्रस्तुत करने हेतु हमारे समक्ष इस न्यायालय में उपस्थित नहीं आए है। प्राकृतिक न्याय निश्चयन के लिए हम यह न्यायसंगत समझते है कि पत्रावली में वादीगण द्वारा वर्तमान में प्रस्तुत संशोधित वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जवाब दावा दोनो को ही मध्यनजर रखते हुए माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, चितौडगढ के निर्णय की पालना में संशाधित तनकी कायम करते हुए इस दावे में साक्ष्य एवं दस्तावेज पर गौर कर निर्णय करें इस कारण पत्रावली में निम्न लिखित संशोधित तनकी कायम की गई है जो निम्न प्रकार से है:–

1– आया कि मौजा देवरी प0ह0 खेडी के गत भू–प्रबन्ध के आराजी नम्बर 42/1 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा भूमि के हाल आराजी नम्बर 75,77,78,79,80,81 व 173/76 रकबा 12बीघा 14 बिस्वा भूमि आज से करीब 45–46 वर्ष पहले वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात भगवानलाल ने रूपा, कैश्या, कूका, भैरू पिता लाला भील निवासी शिवपुरा से आसाढ सूदी 11 सम्वत 2009 में 80/–रूपये में विवादित आराजीयात को खरीदा उसकी तहरीर लिखी और पटवार हल्का पटवारी को इन्तकाल खोलने बाबत दी, तत्पश्चात खाता वादी के नाम पर नहीं आने से तथा पटवार हल्का द्वारा उक्त तहरीर वापिस नहीं देने से एक दूसरी तहरीर लिखने को प्रतिवादीगण को कहा तो दो रूप्ये के स्टाम्प पर बिकाव का खत लिखने पर और अधिक रूप्ये की मांग की तो बाद में उक्त जमीन को 239/–रूपये में दुबारा फागुन बुदी 11 सम्वत 2015 तारीख 05.03.1959 ब्रहस्पतीवार को क्रय कर खता निष्पादित किया तभी से वादी का उक्त आराजीयात पर कब्जा चला आ रहा है। वादी उक्त आराजीयात की घोषणा कराने के अधिकारी है?

वादी

2– आया जमीन जैर बहस 1955 से पूर्व का अर्थात टेनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व का बैचान होने से एवं कब्जा मुखालपाना होने से वादी के नाम दर्ज होना आवश्यक है,

वादी

3– आया कि मौजा देवरी की विवादित भूमि प्रतिवादी एक के पिता गंगाराम जी व जयराम प्रतिवादी संख्या 12 के पिता इत्यादि ने वादी के पिता को 1000/–रूपये में गिरवे रखी थी जिससे वादी भूमि अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी नहीं है?

प्रतिवादी

4– आया कि वाद पत्र में वादी द्वारा सजरा गलत बताया जाकर अन्य पक्षकारान कालू पुत्र [illegible] पक्षकार नहीं बनाया है तथा लाला जी के तीसरा पुत्र कूका को लाओलाद फौत [illegible] प्रतिवादी संख्या 2 गोदकुरा एवं काली व रूपी दो पुत्रियां है [illegible] की पुत्री नानी व पत्नि ठेकूबाई को भी वादी [illegible]

... गवाह ... ने पूर्व में वादीगण की ओर से बयान भगवाना पिता लालू ओड के ... कलमबद्ध कराए थे जिसमें उनके द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अनुसार अपने बयान दिये गये ... जिरह में यह कथन किया है कि यह बात गलत है कि यह खत हमने जाली बनाया हो, ... सम्वत का मुझे ध्यान नहीं है, यह खत नाथू पण्डा ने लिखा है यह सम्वत 2015 में लिखा गया है, जिसके नं. 42/1 है जिसका आधा हिस्सा कहा गुम हो गया है मुझे ध्यान नहीं है, प्रदर्श– 2 पहले लिखा हुआ खत प्रतिवादीगण का ही है, दुबारा पैसे लिये इसलिए प्रदर्श– पी–2 लिखा गया है, प्रदर्श पी–1 में लिखा गया है जिसका मुझे ध्यान नहीं है। लिखा पढी बेगूँ में ही ... थे, मै पढालिखा नहीं हूँ यह बात भी गलत है कि मेने कोई गलत ... दस्तावेज पेश किया ... । यह बात गलत है कि यह जमीन गिरवे रखी हो लाला भील के ... लडके ... थे रूपा केश्या भैरू कूका थे कूका के दो लडकियां है काली व रूपी है वह ... औलाद नहीं है, मै भूरा को जानता हूँ भूरा की पत्नि रोधलालमर चुकी है जिसके दो लडके है। भूरा के गुलाबी बहिन नहीं है, मैने पटवारी को कागज दिये थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:50:49 IST
Reason: SelfAttested

पूर्व में मोडा पिता नारायण धाकड के बयान कलमबद्ध कराए जिसमें गवाह द्वारा अपनी जिरह में निवेदन किया कि वर्णित जमीन का लगान भगवान जी दे रहे है,खाता किसका है मुझे मालूम नहीं, मैने विवादित जमीन को भीलो की कहते हुए नहीं सुना है, यह कि क्यो मै इस जमीन का पडोसी हूँ तथा मैने यह जमीन गुणता के धाकड अमरा जी से मोल ली थी जिसको भी 50 वर्ष हो गये है? मैने जमीन 1000/–यह जमीन मेरी होकर मै वादीगण की जमीन का पडोसी हूँ जिन्हें मैं इनकी जमीन पर 50 वर्ष से भी उपर बोते जोते देखता आ रहा हूँ मैने कभी भीलो की इस विवादित जमीन पर नहीं देखा है। इसी प्रकार गवाह रतना पिता प्यारा ओड व रामलाल पिता किशना ओड , कूकाराम पिता दौलतराम , चम्पा पिता छोगा ओड के बयान कलमबद्ध कराये गये थे जिसमें सभी गवाह द्वारा वाद वर्णित भूमि पर वादीगण का कब्जा 50 वर्ष से भी अधिक समय का होने का बताया है तथा विवादित जमीन पर कभी भी भीलो को बोते जोते नहीं देखा गया है। पत्रावली में वर्तमतान में संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र बाबूलाल , कन्हैयॉलाल, उदा , नन्दा के लिये गये तथा कन्हैयॉलाल, नन्दा व उदा के बयानो को कलमबद्ध कराते हुए वादी बाबूलाल द्वारा अपने साक्ष्य शपथ की पुष्टि में पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराते हुए अपने बयानों को कलमबद्ध किया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत सभी दसतावेज एवं वादीगण की ओर से तथा उनके गहवाह की ओर से पत्रावली में दिये गये पूर्व बयानों एवं वर्तमान बयानों का अवलोकन भी हमारे द्वारा किया गया, पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज एवं बयानों के आधार पर कायम तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– तनकी नं0 1 का निर्णय :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है, वादीगण द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजे मिलनखसरा क्षेत्रफल जो प्रस्तुत किया है उसका अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर पाया कि गत आराजी संख्या 42/1 के नवीन आराजी संख्या 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 173/76 बने है, यह आराजी रूपा, केश्या, कुकलिया, भैरू पिता लाला भील साकिन शिवपुरा के नाम पर दर्ज अंकित है। नकल जमाबंदी मौजा देवरी सं0 2053 से 56 जो कि प्रदर्श– 1 है मे वाद वर्णित भूमि के नवीन आराजी नम्बर 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 173/76 श्री गंगाराम उँकार भोलीराम पिता रूपा रतन रामा चुनिया मोती पिता केश्या भूरा पिता भैरू कुकलिया पिता लाला भील सा. शिवपुरा के नाम पर खातेदारी से दर्ज अंकित है। ... के ... प्रदर्श– 2 जो कि 2/–रूपये के स्टाम्प पर विकीखत है जो कि रूपा, ... पिता लाला जी भील ने भगवान पिता लालू जी ओड के पक्ष में उनके गत ...

... विक्रय हुआ है स्पष्ट नहीं है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी प्रदर्श– 3 का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया जिसमें गत आराजी संख्या 42/1 जिसके खातेदार रूपा, ... कुकलिया, भैरू पिता लाला भील दर्ज है , पत्रावली में प्रस्तुत मिलान खसरा जो कि प्रदर्श– 4 है में कृषक कॉलम में रूपा, कैश्या, कुकलिया, भैरू पिता लाला भील दर्ज अंकित है जबकि उपकृषक के रूप में भगवान पिता लाला ओड का नाम दर्ज अंकित है। इस दस्तावेज से यह सिद्ध होता है ... भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण का गत आराजी नम्बर से ही चला आ रहा ... वादीगण द्वारा पत्रावली में लगान की रसीद प्रदर्श–7 से प्रदर्श–14 तक प्रस्तुत की ... द्वारा अवलोकन किया गया है, कुछ रसीदो में खातेदारान द्वारा ... में वादीगण ओडो द्वारा भूमि का लगान जमा कराने की पुष्टि प्रस्तुत रसीद से होती है। वादीगण द्वारा पत्रावली में एक सादा कागज पर लिखित विक्रय पत्र जो कि प्रदर्श–1 ए है प्रस्तुत किया जिसका अवलोकन भी हमारे द्वारा किया गया उक्त भूमि का विक्रय 80/– रूपये में वादी भगवान पिता लालु जी ओड को विक्रय किये जाने का उल्लेख किया है यह विक्रय सम्वत 2009 को लिखा होना अंकित है। विक्रय की तारीख का अंकन नहीं है, यह विक्रय मात्र 80/– रूप्ये में होकर 100/–रूपये से कम का विक्रय है, जिसका पंजीकृत होना आवश्यक नहीं होता है। पूर्व के वादपत्र में भूमि को खरीद करना 239/– रूपये में खरीदना अंकित किया था किन्तु माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चितौडगढ के निर्णय एवं निर्देशन की पालना में वादीगण द्वारा इस दावा पत्रावली में संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसमें वाद वर्णित आराजीयात को सम्वत 2009 में मात्र 80/–रूपये में खरीदा होना अंकित किया है जिसकी तहरीर लिखी और पटवारी हल्का को दी गई जो कि इन्तकाल खोलने बाबत दी गई थी जिसे पटवारी हल्का द्वारा तहरीर वापिस नहीं देने से दूसरी तहरीर लिखने को प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण ने 2/–रूपये के स्टाम्प पर बिकाव का खत लिखा और अधिक रूप्ये की मांग की तो बाद में उक्त जमीन को 239/–रूपये दुबारा फॉगुन बुदी 11 सम्वत 2015 तारीख 05.03.1959 बृहस्तीवार को क्रय का खत निष्पादित किया गया था। वादीगण द्वारा अपने बयानों में भी यही उल्लेख भी किया है कि वाद वर्णित का विक्रय सबसे पहले 80/–रूपये पर सम्वत 2009 में हुआ था तभी से वर्णित भूमि पर हमारा कब्जा काश्त होकर हम काबिज है। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से पूर्व मे प्रस्तुत जबाब के प्रतिवादी नंदा पिता गंगाराम व जयराम पिता भूरा के द्वारा पत्रावली में अपने जवाब की पुष्टि में कोई भी साक्ष्य अथवा बयान कलमबद्ध नहीं कराये गये थे , वर्तमान में जयराम पिता भूरा का निधन हो जाने से इनका नाम माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा तर्क कर दिया गया है, किन्तु प्रतिवादी नंदा पिता गंगाराम को इस न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं आए ना ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता ही उपस्थित आए है साथ नंदा पिता गंगाराम द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत जवाब को सिद्व कराने के लिए कोई बयान अथवा दस्तावेज आदि इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस प्रकार प्रकरण में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, चिताडगढ के निर्णय में दिये गये निर्देशन पर प्रस्तुत सभी दस्तावेज का गहन अवलोकन हमारे द्वारा किया गया तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधित वाद पत्र का भी अवलोकन हमारे द्वारा किया गया जिससे यह सिद्ध होता है कि वाद वर्णित भूमि का विक्रय खातेदार रूपा, कैश्या, कुकलिया, भैरू पिता लाला भील द्वारा 80/–रूपये में वादीगण के पिता भगवानलाल को सम्वत 2009 में किया था जो कि एक सादा कागज पर था , चूँकि विक्रय भूमि का 80/– यानि ... से कम का होने से पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं था साथ ही सम्वत 2009 जो ... भूमि का होना स्पष्ट होता है, ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:50:49 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] बयानों में वादीगण का कब्जा 50 वर्षो से भी अधिक से होना अंकित किया [illegible] प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादीगण वादवर्णित भूमि पर खातेदारी अधिकार [illegible] की घोषणा करा पाने के अधिकारी पाये जाते है। इस प्रकार तनकी नम्बर 1 [illegible] विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

2– तनकी नम्बर 2 का निर्णय :–

इस तनकी को भी सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है वादीगण द्वारा यह जमीन जेर बहस 1955 से पूर्व [illegible] लागू होने से पूर्व का बेचान होने से एवं कब्जा मुखालपाना होने से [illegible] चाहत है इस तनकी के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा तनकी [illegible] गया है कि वाद वर्णित भूमि का विक्रय 80/– रूप्ये में होने से [illegible]00/–रूपये से कम में होने से पंजीयन आवश्यक नहीं है साथ ही भूमि का विक्रय सम्वत 2009 यानि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व का विक्रय होने से एवं प्रतिकूल कब्जा भी वादीगण का प्रस्तुत दस्तावेज एवं बयानों से सिद्ध होने से वादी वाद वर्णित आराजीयात की घोषणा करा पाने के अधिकारी पाये जाते है। यह तनकी भी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

3– तनकी नम्बर 3 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण का है, दावा पत्रावली में पूर्व में प्रतिवादी नंदा पिता गंगाराम एवं जयराम पिता भूरा द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया था वाद वर्णित भूमि वादी के पिता को 1000/–रूपये में गिरवीं रखी थी, इस तथ्य की पुष्टि में प्रतिवादीगण द्वारा दावा पत्रावली में न तो पूर्व में ही कोई बयान कलमबद्ध कराये ना ही दस्तावेज ऐसा काई प्रस्तुत किया ना ही वर्तमान में भी उन्हें तलब किये जाने पर वह इस न्यायालय में उपस्थित आए है, पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वाद वर्णित भूमि को 1000/–रूपये में वादी को गिरवीं रखा गया हो? यह तनकी बयानों एवं दस्तावेज के अभाव में विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण निर्णित की जाती है। ?

4– तनकी नम्बर 4 का निर्णय :–

इस तनकी को भी सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण का था जिन्होने दावा पत्रावली में सजरा गलत अंकित किये जाने का कथन करते हुए अन्य पक्षकारान को वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाने से दावा चलने योग्य नहीं होने का उल्लेख किया है, हमारी विनम्र राय से यदि वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में गलत सजरा अंकित किया गया है तो सही सजरा क्या था यह जानकारी प्रतिवादीगण हमारे समक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर अपने लिखित जवाब के साथ प्रस्तुत करते ? जो कि प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया गया है , कौन कौन खातेदार थे जिनकी मृत्यु हुई तथा उनके कौन कौन वारिस थे या वर्तमान में है की जानकारी प्रतिवादीगण दे सकते थे किन्तु प्रतिवादीगण न तो पत्रावली में उपस्थित आए है ना ही अपनी ओर से ऐसा कोई ठोस दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत किया है जो उनके तथ्यों की पुष्टि करता हो । केवल एक पर प्रतिवादी नंदा व जयराम द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया है जिसको भी सिद्ध कराने हेतु कोई बयान कलमबद्ध नहीं कराये है ना ही कोई ठोस दस्तावेज पत्रावली मे प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार साक्ष्य सबूत के अभाव में प्रतिवादीगण की यह तनकी सिद्ध नहीं होती है । तनकी नम्बर 4 विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

इस प्रकार पत्रावली में कायम तनकी दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर वादीगण के पक्ष में सिद्ध होने से वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

[illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:50:49 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा की आराजीयात में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावें।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:50:49 IST
Reason: SelfAttested